कार्यालय परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना लोहण्डीगुड़ा जिला बस्तर

Mail – powcdlohandiguda01@gmail.com **Phon No- 07859-288234**

//विज्ञापन//

क्रमांक/ 206 /मबावि./स्था./नियुक्ति/2026–2027 लोहण्डीगुड़ा दिनांक 26/12/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए आं.बा. कार्यकर्ता के पदरिक्त होने के कारण नियुक्ति करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इस हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परियोजना कार्यालय लोहण्डीगुड़ा के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है **आवेदन दिनांक 27/11/2026 से 12/12/2026** आवेदन ऑनलाईन पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से कर सकते है।

क्र.	केन्द्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पद का नाम	सेक्टर का नाम	रिक्त पदों की संख्या
बड़ेधाराउर–1	बड़ेधाराउर	आ.बा. सहायिका	उसरीबेड़ा	बड़ेधाराउर–1	बड़ेधाराउर

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार आर्हताएं हैः–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होगी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को आयु सीमा में 3 वर्ष की छुट की जावेगी।)
2. आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम में आगनबाड़ी केन्द्र स्थित हैं।
3. जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना है प्रस्तावित है या जहॉ पद रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिएं। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा।

   निवासी होने के प्रमाण पत्र में.....

(क) उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे।

(ख) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकार्यो में की जाने वाली नियुक्ति में पटवारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र जिसमें ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।

टीपः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोइ शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबधी प्रमाण–पत्र ही मान्य किया जावेगा।

4. आवेदिका की न्युनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए।

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	5वी/8वी बोर्ड उत्तीर्ण

टीपः– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उस केन्द्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान 8 वीं बोर्ड रखी जावेगी। एवं इसके उपरांत भी कोई आवेदिका न मिलने पर 5 वीं उत्तीर्ण रखी जावेगी।

5. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/होने पर गरीबी रेखा परिवार अनूसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर अनूसूचित जाति, जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8 वीं तक अध्ययन करने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जायेगें।

(क)–आवेदिका विधवा महिला होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ख)–परित्यक्ता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जायेगा। आवेदिका परित्यक्ता होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्ता हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र एवं नगर निगम/नगर पालिक क्षेत्र में वार्ड के पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा नगर पंचायत क्षेत्र होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथ्वा न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश संलग्न करना होगा।

(ग)–तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(घ)–यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त न हुई हो।

7. यदि आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सदस्य हो तो (प्रभाशील गरीबी रेखा सूची में) उसे सक्षम अधिकारी द्वारा (ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं नगरीय क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र) जिसमें गरीबी रेखा क्रमांक एवं वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करना होगा।

8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज अभिप्रमाणित होना चाहियें।

9. जन्म तिथि प्रमाणीकरण हेतु 8 वीं एवं 10 की अंक सूची संलग्न करें।

10. यदि किसी आवेदन के निवास संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

11. चयन के किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र/दस्तावेज/अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदिका की होगी।

12. समस्त आवश्यक दस्तावेज फार्म भरते समय ही संलग्न करें। दावा आपत्ति के समय नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।

13. निर्धारित **अंतिम तिथि 12/12/2026** के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

14. आवेदन ऑनलाईन पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से कर सकते है।

15. 8 वी ग्रेडिंग अंक सूची में प्राप्तांक/पूर्णांक उल्लेखित होना चाहिए।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हे केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
लोहण्डीगुड़ा जिला बस्तर

पृ.क्रमांक/206–A/मबावि./स्था./नियुक्त/2026–2027 लोहण्डीगुड़ा दिनांक 26/12/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बस्तर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) लोहण्डीगुड़ा जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लोहण्डीगुड़ा जिला बस्तर को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया ज्ञापन को सूचना पटल में चस्पा करवाने तथा तत्संबंध में मुनादी भी करवाने का कष्ट करें।
5. पर्यवेक्षक सेक्टर..... की ओर सूचनार्थ। आप उक्त रिक्त केन्द्रों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय /नगर पंचायतों को सूचित करते हुए उनके सूचना पटल मे चस्पा करवायें तथा कोटवार के माध्यम से मुनादी करवायें यह समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रमाणित जानकारी कार्यालय में 05 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें।
6. ग्राम पंचायत..... लोहण्डीगुड़ा जिला बस्तर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया ज्ञापन को सूचना पटल में चस्पा करवाने का कष्ट करें एवं संबंधित ग्राम में मुनादी के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
7. नियुक्ति शाखा प्रभारी/लिपिक सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के मुनादी प्रमाण पत्र एवं पावतीयां संकलित करें तथा निर्धारि प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करने पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला बस्तर को लेख है कि कृपया उक्त विज्ञापन का प्रकाशन सभी दैनिक सामाचार पत्रों में कराने का कष्ट करेगें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
लोहण्डीगुड़ा जिला बस्तर